

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक**  
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या -  
निर्णय दिनांक-

94 / 2021  
16.06.2021

**उनवान**

1. प्रधान पुत्र शंकर जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोक
2. बुद्धिप्रकाश पुत्र शंकर जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोक
3. दिलखुश पुत्र शंकर जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोक
4. तस्वीर पुत्री शंकर जाति मीना-निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोक
5. धापू पत्नी शंकर जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोक
6. गजानन्द पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोक
7. मनभर पुत्री अर्जुन जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोक

- प्रार्थीगण

**बनाम**

तहसीलदार उनियारा जिला टोक

- प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम  
उपरिस्थित:- श्री बरकततुला खां वकील प्रार्थीगण

**निर्णय**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील उनियारा जिला टोक में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पडोसी काश्तकारान द्वारा प्रार्थी को आए दिन परेशान करते हैं। जिससे आए दिन विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की सीमाए बिगडी हुई है। उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर सीमाये निर्धारित किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तह0 उनियारा की पत्थरगढी कर सीमाये निर्धारित करने हेतु प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को आदेश फरमाया जावे।



  
उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा


उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी से जवाब लिया गया। प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थीगण की वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तह0 उनियारा देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर विवाद की संभावना के मध्य नजर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 47 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तह0 उनियारा का प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करें। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



  
सुश्री रजनी मीणा  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा  
जिला टोंक